न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
11/2018	FSS ACT	04.07.2018	19.2.2024

1. श्री प्रेम चन्द जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, भरतपुर जोन भरतपुर

–आवेदक

बनाम

1. श्री प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री रामावतार मित्तल उम्र 34 वर्ष जाति महाजन, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मौके पर विक्रेता, फर्म रघुनाथ दास मिश्रीलाल, पुरानी अनाज मण्डी, गंगापुर सिटी निवासी शिव शिक्षा निकेतन स्कूल के पास, शुक्ला कालोनी, नहर रोड, गंगापुर सिटी
2. रामेश्वरी देवी पत्नी श्री बिन्दल राम अग्रवाल लाइसेन्स धारी एवं प्रोपराइटर, फर्म रघुनाथ दास मिश्रीलाल, पुरानी अनाज मण्डी, गंगापुर सिटी निवासी शिव शिक्षा निकेतन स्कूल के पास, शुक्ला कालोनी, नहर रोड, गंगापुर सिटी
3. नमन रारा पुत्र राकेश रारा–नोमिनी फर्म आर एल एम स्पाईसीज, प्रथम फ्लोर, ई–144, रिको इन्डस्ट्रियल एरिया, बगरू EXT फेज–2, बगरू, जयपुर (राज.)–302033 निवासी 85, केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.) 302018
4. फर्म–आर एल एम स्पाईसीज, प्रथम फ्लोर, ई–144 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, बगरू EXT फेज–2, बगरू, जयपुर (राज.)–302033 निर्माता फर्म।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 19.2.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी प्रेमचन्द जैन (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, भरतपुर जोन भरतपुर ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 30.07.2016 को लगभग 04:30 पीएम पर फर्म रघुनाथ दास मिश्रीलाल, पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी पर पहुंचा वहा पर श्री प्रसाद मित्तल पुत्र श्री रामावतार मित्तल जाति महाजन मौजूद था जो आम जनता को किराना व परचुनी सामान की बिक्री कर रहा था को मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नि बिन्दल राम को फर्म का प्रोपराईटर/मालिक होना बताया। तथा उसने खाद्य पदार्थ लाईसेंस क्रमांक 12214038000185 दिनांक 13.06.2016 एवं वैट लाईसेंस 03 दिखाया जिनकी एक–एक स्व–प्रमाणित प्रति मुझे दी जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान के परिसर का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ RED CHILLI Powder (RaRa Gold Brand) 500 ग्राम पैक के 20 पैकेट एक रैक में रखे हुये थे, मानक स्तर का शक होने पर मेरे द्वारा विक्रेता की उपस्थिति में नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0–5 अ की प्रति स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ RED CHILLI Powder (RaRa Gold Brand) 500 ग्राम के 20 पैकिटों में से 4 पैकेट वास्ते जांच नमूना हेतु क्रय कर राशि 360 रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये RED CHILLI Powder (RaRa Gold Brand) 500 ग्राम के 04 पैकिटों को अलग–अलग 4 साफ सूखे व खाली प्लास्टिक डिब्बों में रख कर प्रत्येक डिब्बे का ढक्कन अच्छी तहर से टाईट बंद कर चार लेवल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक डिब्बे पर एक–एक लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेट कर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–985 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर विक्रेता ने मुझे उक्त खाद्य वस्तु RED CHILLI Powder (RaRa Gold Brand) का खरीद बिल क्रमांक 168 दिनांक 14.07.2016 मुझे दिखाया तथा बताया कि उसने यह माल फर्म फर्म–आर एल एम स्पाईसीज, प्रथम फ्लोर, ई–144 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, बगरू EXT फेज–2, बगरू, जयपुर से क्रय किया है। बिल की स्व–प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर की गई कार्यवाही कि मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये जो न्याय निर्णयन आवदेन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 06 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक पुरूषोत्तम लाल वार्ड बॉय कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गंगापुर सिटी के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करा कर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि आवेदन के साथ संलग्न है। बाकी बचे नमुने के दो सिल बंद पैकेट (II व III पार्ट) व फार्म नम्बर 06 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बंद पैकेट व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को स्वंय जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता द्वारा मौके पर उपलब्ध करवाये गये माल खरीद बिल क्रमांक 168 दिनांक 14.07.2016 के अनुसार फर्म–आर एल एम स्पाईसीज, प्रथम फ्लोर, ई–144 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, बगरू EXT फेज–2, बगरू, जयपुर को नमूना लेने की सूचना प्रपत्र–05 ए रजिस्टर्ड डॉक से भिजवाते हुये दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत् पत्र क्रमांक 2795 दिनांक 03.08.2016 लिखा जो मय रजिस्ट्री रसीद आवेदन के साथ सलंग्न है। फर्म–आर एल एम स्पाईसीज, प्रथम फ्लोर, ई–144 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, बगरू EXT फेज–2, बगरू, जयपुर के पार्टनर नमन रारा ने अपने पत्र दिनांक 02.09.2016 के द्वारा फर्म खाद्य लाईसेंस, वैट लाईसेंस एंव अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाये जो आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/2312 दिनांक 29.08.2016 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या LS/2373/Act./2016/166 दिनांक 23.08.2016 संबंधित को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति मुझे दी जिसके अनुसार RED CHILLI Powder (RaRa Gold Brand) 500 ग्राम पैंक का नमुना मिथ्याछाप (**MISS- Branded**) U/S 3(1(zf)(c)(i) of FSSA 2006 प्रकृति का गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फर्म–आर एल एम स्पाईसीज, प्रथम फ्लोर, ई–144 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, बगरू EXT फेज–2, बगरू, जयपुर के पार्टनर एवं नोमिनी नमन रारा ने अपने पत्र दिनांक 10.10.2016 के द्वारा फर्म के नोमिनी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाये जिसका मूल पत्र एवं दस्तावेज छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये। जिन्होने पत्र क्रमांक / एफएसएसए/2016/2686 दिनांक 19.10.2016 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्तगणों द्वारा मिसब्राण्डेण्ड (Miss Bramded) प्रकृति की खाद्य वस्तु RED CHILLI Powder (RaRa Gold Brand) 500 का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तणों को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1व 2 की ओर से श्री दामोदर लाल एडवोकेट उपस्थित तथा अभियुक्त संख्या 3 व 4 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा उपस्थित हुये।

अभियुक्त संख्या 2 के अधिवक्ता ने दिनांक 30.07.2019 को एक प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर निवदेन किया कि अभियुक्त संख्या 02 श्रीमती रामेश्वरी देवी कि मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध विचाराधीन कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2023 को प्रार्थना पत्र का निर्णय कर अभियुक्त संख्या 02 के विरूद्ध विचाराधीन कार्यवाही को निरस्त किया गया।

अभियुक्त संख्या 1 कि ओर से लिखित जबाब पेश नही किया गया अभियुक्त संख्या 03 व 04 ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्तगण ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा नमूना लेने के पश्चात अभियुक्त संख्या 01 को फॉर्म 05–ए दिया गया उस पर नियमानुसार खाद्य कारोबार कर्ता एवं उत्पादक एंव निर्माता की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए ओर उसकी एक प्रति उत्पादक एवं निर्माता को भी भेजी जानी चाहिए थी जबकि उक्त फॉर्म 05–ए में कहीं पर भी उत्पादक एवं निर्माता का वर्णन है ओर ना ही उसको कोई प्रति भेजी गई फॉर्म 05–ए में कहीं पर भी फूड सैफ्टी ऑफिसर द्वारा मिस ब्राण्डेड के शक का अवलोकन नही किया गया एवं फॉर्म नम्बर 05 मे जो स्वतन्त्र गवाह है उनका विस्तृत विवरण भी कही पर भी अंकित नही है। उक्त नमूना की खाद्य विश्लेषक द्वारा बनाई गई जॉच रिपोर्ट अनुसार मानक किस्म का पाया गया जिसमें कि कोई मिलावट नहीं पाई गई, जबकि खाद्य विश्लेषक की ओपीनियन अनुसार नमूना मिस ब्राण्ड पाया गया ओर नमूने में जो मिस ब्राण्डिंग बताई गई है वो बेस्ट बिफोर डेड के फार्मेट में नही होने की बताई गई है। प्रावधान अनुसार जो उक्त खाद्य नमूने मे बेस्ट बिफोर डेड अंकित थी वो इस प्रकार थी "EXPIRITY AFTER 8 MONTH FROM THE DATE OF PKD " एवं एक्ट में जो फार्मेट दे रखा है उस अनुसर "BEST BEFORE SIX MONTH FROM MANUFACTURE" होना चाहिए था अतः केवल मात्र नमूने के बेस्ट बिफोर डेट EXPIRITY लिखने से नमूना मिस ब्राण्ड कर दिया गया जिसका कोई मिस ब्राण्डिंग का औचित्य ही नही है। उक्त प्रकरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी सैक्शन 32 ऑफ फुड सैफ्टी एक्ट 2006 की पालना नही की गई उक्त प्रकरण का निस्तारण डी.ओ. द्वारा उक्त मिस ब्राण्डिंग पर इम्प्रुवमेंट नोटिस देकर भी किया जा सकता था। उक्त खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा जैसे ही नमूने की रिपोर्ट प्राप्त हुई उसी समय नमूने के लेवल को ठीक कर लिया गया है नमूने के लेवल की प्रति भी जबाब के साथ संलग्न है अतः जबाब पेश कर निवेदन हैं कि अभियुक्तगण द्वारा जबाब स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील अभियुक्त संख्या 01 ने कथन किया कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त संख्या 01 फर्म प्रोपराईटर अभियुक्त सख्या 02 रामेश्वरी देवी का पुत्र है केवल प्रोपराईटर का पुत्र होने से उसके विरूद्ध कोई प्रकरण नही बनता है प्रकरण मे मुख्य अभियुक्त अभियुक्त संख्या 03 व 04 है जो उक्त खाद्य प्रदार्थ RED CHILLI Powder (RaRa Gold Brand) 500 ग्राम के निर्माता व फर्म मालिक है। इसलिये अभियुक्त संख्या 01 को दोष मुक्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राज.)

अभियुक्त संख्या 03 व 04 के अधिवक्ता ने अपने जवाब अनुसार बहस करते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो फॉर्म 05–ए तैयार किया है वह नियमानुसार सही नही है फॉर्म 05–ए में कहीं पर भी फुड सैफ्टी ऑफिसर द्वारा मिस ब्राण्डिंग के शक का अवलोकन नही किया है एवं स्वतन्त्र गवाहों का विवरण भी फार्म–05–ए में कही पर भी अंकित नही किया है। खाद्य विश्लेषक द्वारा बनाई गई जॉच रिपोर्ट अनुसार खाद्य वस्तु का नमूना मानक किस्म का पाया गया है जिसमें कि कोई भी मिलावट नही पाई गई। ऑपिनियन अनुसार नमूना मिस ब्राण्ड पाया गया है तथा नमूने मे जो मिस ब्राण्डिंग बताई गई है वो बेस्ट बिफोर डेड के फार्मेट में नही होने की बताई गई है केवल मात्र नमूने के बेस्ट बिफोर डेट में EXPIRITY लिखने से नमूना मिस ब्राण्ड कर दिया गया जिसका कोई मिस ब्राण्डिंग का औचित्य ही नही है । उक्त प्रकरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी सैक्शन 32 ऑफ फुड सैफ्टी एक्ट 2006 की पालना नही की गई उक्त प्रकरण का निस्तारण डी.ओ. द्वारा उक्त मिस ब्राण्डिंग पर इम्प्रुवमेंट नोटिस देकर भी किया जा सकता था। अतः अभियुक्तगण संख्या 03 व 04 पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न **STAT CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)** की **REPORT NO. LS/2373/Act 2016/166 DATE 23-08-2016** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

"Opinion- The sample of "**RED Chilly Powder (Para Gold) bearing Code No. and Sr. No. H-985 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer. Sawai Madhopur is Misbranded Under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act, 2006"**

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक RED CHILLI Powder (Para Gold Brand) 500 ग्राम का सेम्पल **SERIAL NO. H-985[Miss Branded]** पाया गया है।

अभियुक्तण द्वारा मिस ब्राण्डेड (Miss Branded) की खाद्य वस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जबाव व पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत है कि आवेदक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही उचित है। अभियुक्त संख्या 01 की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त संख्या 01 को 10000/–रूपये (अक्षरे दस हजार.रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त संख्या 03 व 04 को पृथक–पृथक रूप से 50000/–रूपये (अक्षरे– पचास हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.2.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.24

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी